



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

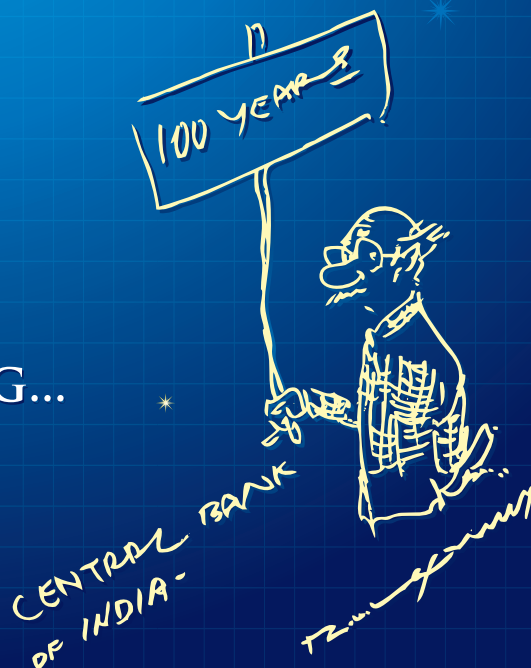


वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2010-2011

100

बैंकिंग से बढ़कर एक अटूट रिश्ते की
शताब्दी का महोत्सव...

CELEBRATING 100 YEARS OF
BONDING BEYOND BANKING...



सफलता के सोपान

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

THE MARK OF SUCCESS

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911	1956	1973	1982
			
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है. Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.	बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया. Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.	'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामयिक छवि प्रस्तुत की जा सके. Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.	'लोगो' में पहचान सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है. The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.



नया साइनेज - गतिशीलता का प्रतीक

हमारे बैंक के नये साइनेज में उसके वास्तविक स्वरूप के साथ-साथ वर्तमान प्रोफाइल झलकती है. साइनेज में नीला रंग, शांति एवं स्थिरता को दर्शाता है. लाल रंग की निचली पट्टी, उर्जस्वी विचार एवं सकारात्मक कार्यपद्धति का प्रतीक है. कुल मिलाकर, वे बड़ी कुशलतापूर्वक भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक बैंकों की श्रेणी में आने वाले हमारे बैंक की प्रगतिशील कार्यनीति एवं आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं. अपने विद्यमान 'लोगो' के साथ साइनेज के ये नये रंग इस तथ्य का यथार्थ चित्रण करते हैं कि हम अपने पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और साथ ही, एक सक्रिय तथा समकालीन संस्था की छवि भी प्रस्तुत करते हैं.

The new signage - a signature of Dynamism

The new signage of the bank projects its true character and present day profile. The Blue colour in the signage denotes peace and stability. The bottom strip in red stands for vibrant thought and positive action. Together, they aptly bring forth the forward-looking approach and new-age outlook of one of India's most historic banks. The new colours of the signage together with the existing logo is an apt depiction of carrying forward the old values yet presenting the image of a dynamic and contemporary organization.

उच्चतर उत्पादकता और ओजस्विता के लिए मानव पूंजी का उत्कृष्ट निवेशन. साथ ही, लाभप्रदता बढ़ाते हुए अपने बैंक को, व्यवसाय और अखंडित विकास की एक नई ऊंचाई प्रदान करना.

Operation Navchetna - The Rejuvenation Mission 2009-11

"To leverage human capital for higher productivity and vitality, to enhance profitability and take the Bank to new heights of business and sustainable growth."

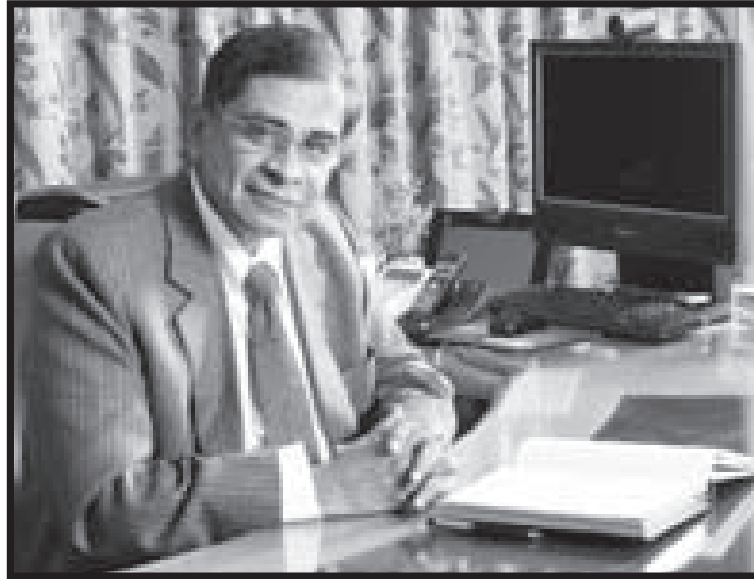


विषय-सूची / Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक मंडल / Board of Directors	4
नोटिस.....	5
निदेशक रिपोर्ट 2010-11	7
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण.....	11
कॉर्पोरेट गवर्नेंस.....	28
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	42
दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र	44
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	45
तुलन पत्र की अनुसूचियां.....	46
लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां	51
मुख्य लेखांकन नीतियां	52
लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां.....	56
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	74
दिनांक 31 मार्च, 2011 का समेकित तुलन पत्र	90
प्रॉक्सी फॉर्म.....	111
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र.....	112
Chairman & Managing Director's Message.....	114
Notice	116
Directors' Report 2010-2011	119
Management Discussion and Analysis.....	123
Corporate Governance.....	141
Auditors' Report to the President of India.....	156
Balance Sheet as on 31st March, 2011.....	158
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2011	159
Schedules to Balance Sheet.....	160
Schedules to Profit & Loss Account	165
Principal Accounting Policies.....	166
Notes Forming Part of the Accounts.....	169
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2011	187
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2011	202
Proxy Form.....	225
Attendance form, Entry Form	226



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



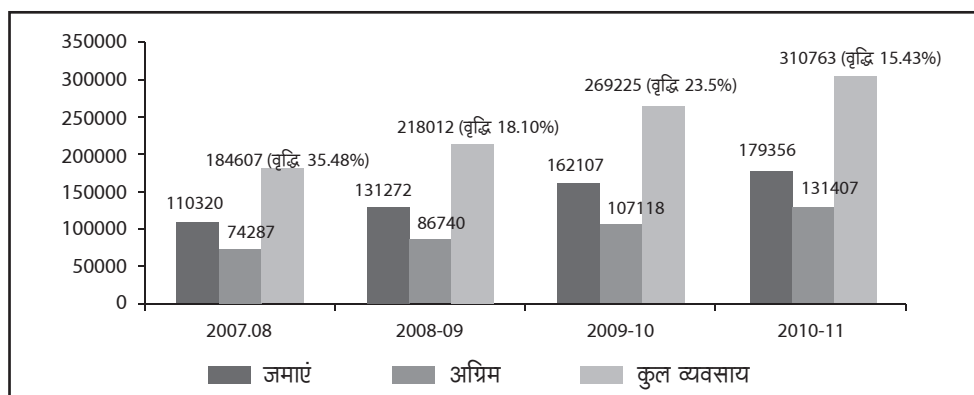
प्रिय शेयरधारकगण,

मुझे दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

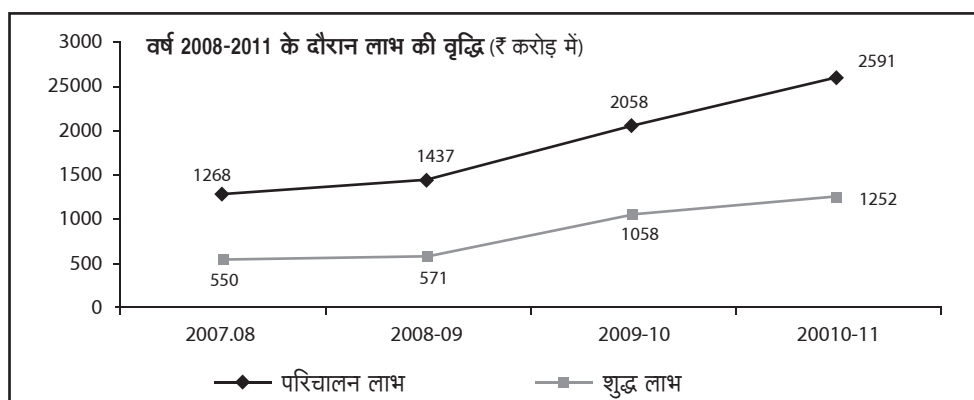
वर्ष के दौरान, तेल एवं वस्तुओं की उच्च कीमतों की वजह से उदीयमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार पर दबाव उत्पन्न हुआ। यूरो क्षेत्र में प्रधान तुलनपत्र जोखिमों के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई। बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों तथा पूर्व खाद्य और कुछ वेतन मूल्य स्फीति के संचारण के परिणामस्वरूप वैश्विक मुद्रास्फीति फिर उभरकर सामने आई। तथापि, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्रास्फीति मंदी रही, जिसके कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की अवस्थिति की तुलना में समायोजित मौद्रिक नीतियां जारी रहीं।

भारत में, पूरे वर्ष चर्चित मुद्रास्फीति ने अपनी मजबूत उपस्थिति का अहसास कराया तथा वह सुविधाप्रद स्तर से उच्चतर बनी रही। दिसम्बर 2010 से खाद्य स्फीति विनिर्माणी क्षेत्र में अंतरित हुई, क्योंकि उत्पादक मजबूत मांग के बीच बढ़ती लागत को अंतरित करने में समर्थ हो सके। मुद्रास्फीति-रोधी उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सख्त मौद्रिक नीति अपनाई। खाद्य-अनाज के अच्छे उत्पादन से कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों ने उल्लेखनीय गति प्राप्त की और वर्ष के दौरान 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इससे वर्ष 2010-11 के दौरान 8.6 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि में जबरदस्त मदद मिली।

आपके बैंक ने रुपये तीन लाख करोड़ के व्यवसाय के आंकड़े को पार करते हुए अपने शताब्दी वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे ₹ 310763 करोड़ के व्यवसाय-स्तर तक पहुंचा जा सका है। व्यवसाय कार्यनीतियों के हमारे नए स्वरूप ने, जो रिटेल बैंकिंग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करती है, सीसीपीसी (सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट प्रोसेसिंग सेन्टर्स) खोलते हुए रिटेल प्रोसेसिंग में तेजी लाकर इसे और अधिक मजबूती प्रदान की है। सीसीपीसी ने न केवल रिटेल ऋणों के सुदृढ़ संवृद्धि में सहायता प्रदान की, अपितु इस सेगमेंट में 13.55 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि से एनपीए में भी पर्याप्त ठोस कमी लाई है।



प्रभावी व्यावसायिक कार्यनीतियों के परिणामस्वरूप, बैंक अपनी निधियों की लागत में मार्च 2009 के 6.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2011 में 5.82 प्रतिशत तक कमी लाने में सक्षम हो सका। इस अवधि के दौरान, हमारी शुद्ध ब्याज आय में 109 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई तथा शुद्ध ब्याज मार्जिन, जो पहले 2 प्रतिशत से कम थी, में 3.31 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ी हुई पेंशन तथा अन्य देयताओं की अदायगी के बावजूद, मार्च 2011 में हमारा शुद्ध लाभ ₹1252 करोड़ था।



विभिन्न उच्च प्रोफाइल ब्रैंड निर्माण के सदप्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारे ब्रैंड को सुदृढ़ता प्राप्त हुई तथा बैंक मैगजीन (यूके) में पूरे विश्व में शीर्ष 500 बैंकों में से एक बैंक के रूप में हमारे बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निवेशकों ने ₹ 2497 करोड़ के हमारे राइट इश्यू को ओवर-सबस्क्राइब करके अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की है। इससे हमारी टियर I पूंजी को गति मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील जमा आवश्यकता को पूरा करने में हम सक्षम होंगे। राइट इश्यू, जो अप्रैल 2011 में बंद हुआ, की प्राप्तियों को यदि हम गणना में लेते तो मार्च 2011 में हमारा सीआरएआर 13.57 प्रतिशत रहता।

मैं दिनांक 31 मई, 2011 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बड़े बैंक का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान एवं सौभाग्य की बात रही, विशेषकर इस बैंक के शताब्दी वर्ष में। मार्च 2009 में, मेरे कार्यकाल के प्रारंभ में, मुझे बैंक के सभी स्टैकधारकों के लिए संपुष्ट गरिमा हासिल करना सर्वोपरि ध्येय था; जिसे मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हासिल किया जा सका है। यह आपके प्रचुर सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,
एस. श्रीधर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2011



निदेशक मंडल

श्री एस.श्रीधर
श्रीमती वी. आर. अय्यर
श्री आर. के. दुबे
डॉ. शशांक सक्सेना
श्री सलीम गंगाधरन
श्री बृजलाल क्षत्रिय
प्रो. एन. बालकृष्णन
श्री रोमेश सभरवाल
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
श्री बी. एस. रामबाबू

BOARD OF DIRECTORS

SHRI S. SRIDHAR
SMT. V. R. IYER
SHRI R.K. DUBEY
DR. SHASHANK SAKSENA
SHRI SALIM GANGADHARAN
SHRI BRIJLAL KSHATRIYA
PROF. N. BALAKRISHNAN
SHRI ROMESH SABHARWAL
MAJOR (RETD.) VED PRAKASH
SHRI B. S. RAMBABU

लेखा परीक्षक AUDITORS

मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
मे. जी. एस. ए. एण्ड असोशिएट्स
मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
मे. के. एस. अय्यर एण्ड कंपनी
मे. घिया एण्ड कंपनी
मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स

M/s Sagar & Associates
M/s G. S. A. & Associates
M/s D. Rangaswamy & Co.
M/s K. S. Aiyar & Co.
M/s Ghiya & Co.
M/s Samsand & Associates

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउन्ड
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप (पश्चिम),
मुम्बई - 400 078
टेलीफोन नंबर : 022-25963838
फैक्स नंबर : 022-25946969
ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai - 400 078
Tel : 022-25963838
Fax : 022-25946969
Email id : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्राचार करने के लिए पता

कंपनी सेक्रेटरी / एजीएम एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
10 वीं मंजिल, चन्दरमुखी,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
सम्पर्क नं. 022-66387818
फैक्स नं. : 022-22835198
ई-मेल आईडी: 1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK

Company Secretary / AGM and Compliance Officer
Central Bank of India
10th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai- 400 021
Contact No. 022-66387818
Fax No. : 022-22835198
Email Id: 1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

नोटिस

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की चतुर्थ वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कार्य करने हेतु शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को दोपहर 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल, रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जेबीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056 में आयोजित की जाएगी।

1. दिनांक 31 मार्च, 2011 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता, लेखों द्वारा कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और उन्हें स्वीकारना।
2. वित्तीय वर्ष, 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

ए. के. दास

सहायक महाप्रबंधक
(कंपनी सचिव)

मुंबई

30 मई, 2011

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है एवं यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने सम्बंधी लिखत, बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24 जुलाई, 2011 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व, बैंक के चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 स्थित प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सम्बंधी जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति बैंक के चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 4000 021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 24 जुलाई, 2011 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व जमा न की जा चुकी हो।

3. बैंक का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थित पर्ची सह-प्रवेश पास:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस पर उपलब्ध स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा इसे बैठक - स्थल पर सुपुर्द कर दें। शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए एवं अपनी पहचान के प्रमाण के लिए अपने हस्ताक्षर शेयरधारक से सत्यापित कराए जाने चाहिए।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी:

शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 23 जुलाई, 2011 (शनिवार) से 29 जुलाई, 2011 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं.) तक बंद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखे गये शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान दिनांक 22 जुलाई, 2011 को डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाउनलोड के अनुसार एवं उन शेयरधारकों को, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, को लाभांश का भुगतान, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार किया जाएगा। लाभांश बैठक की तारीख से एक माह के अंदर प्रेषित किए जाएंगे।

6. लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (इसीएस) के लिए बैंक-अधिदेश:

लाभांश के कपटपूर्वक भुगतान से शेयरधारकों को बचाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जहां लाभांश का भुगतान चाहते हैं, वहां के अपने बैंक का खाता नंबर, बैंक का नाम एवं शाखा सूचित करें।

इन विवरणों सहित शेयरधारक का नाम लाभांश के चेक वाले हिस्से पर मुद्रित किया जाएगा, ताकि लाभांश किसी अन्य के द्वारा न भुनाए जा सके।

उपर्युक्त विवरण प्रथम/एकमात्र शेयरधारक द्वारा पृष्ठ संख्या अथवा डीपीआईडी नं. अथवा ग्राहक नं. तथा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सीधे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट/डीपी को दिनांक 22.07.2011 को अथवा इसके पूर्व सूचित किया जाए।

यदि शेयरधारक कोई भी संशोधन नहीं सूचित करते हैं तो डीमेट शेयरधारक के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2011 को रजिस्ट्रार से पूर्व में प्राप्त



बैंक अधिदेश अथवा एनएसडीएल/सीडीएसएल से प्राप्त डाउनलोड के आधार पर लाभांश मुद्रित किया जाएगा। यह उन सभी शेयरधारकों पर लागू होगा, जिन्होंने ईसीएस अधिदेश नहीं दिए हैं।

बैंक उन शेयरधारकों को, जिनका कि सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं में खाता है एवं विशिष्ट शहरों में रहते हैं, ईसीएस की सीधी जमा सुविधा प्रदान करता है। शेयरधारकों द्वारा लाभांश की जमा प्राप्ति के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के स्थान पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। शेयरधारकों को चाहिए कि वे अपना खाता नंबर और अपने बैंक की शाखा का आईएफएस कोड ईसीएस अधिदेश में दें, ताकि लाभांश उनके विनिर्दिष्ट खाते में अंतरित किया जा सके। चयनित केन्द्रों के लिए, जहां एनईएफटी / एनईसीएस सुविधा उपलब्ध है, उनके माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है :

शेयरधारकों, जिन्होंने पिछले वर्ष 2009-2010 से आगे अपने लाभांश नहीं भुनाये हैं / जिन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से डुप्लीकेट लाभांश जारी करने के लिए संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी, (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10बी में संशोधन के अनुसरण में यह प्रावधानित है कि अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और इस भुगतान के संदर्भ में तत्पश्चात उसका दावा न तो बैंक अथवा न ही आईईपीएफ के साथ होगा।

8. पते एवं लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

ऐसे मामले, जहां शेयरधारक ने अपने शेयर भौतिक रूप में रखे हुए हैं, में शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि वे अपने पते, लाभांश अधिदेश तथा बैंक के विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर, में कोई परिवर्तन चाहते हैं, जिसे वे लाभांश वारंट पर समाविष्ट करना चाहते हैं, वे निम्न पते पर बही बंदी के पूर्व सूचित करें :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड,

एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-400 078

फोन: (022) 25963838, फैक्स: (022) 25946969, ई मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पते में कोई भी परिवर्तन, लाभांश अधिदेश एवं बैंक का विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर में कोई भी परिवर्तन, जो शेयर धारक लाभांश वारंट आदि में समाविष्ट करना चाहता है, सिर्फ अपने सहभागी डिपॉजिटरी को सूचित करें क्योंकि केवल दिनांक 22 जुलाई, 2011 तक उपलब्ध कराई गई उपर्युक्त सूचना पर लाभांश के भुगतान एवं संवितरण पर विचार किया जाएगा।

9. अपना ई - मेल पता पंजीकृत कराके ई - मेल के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना.

कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या 17/2011 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 एवं 18/2011 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से "कार्पोरेट गवर्नंस में हरित पहल" की हैं जिससे कि संस्थानों को वार्षिक साधारण बैठक, लेखा परीक्षित विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सहित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ई - मेल पता, जिसे आपने पूर्व में अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत किया था पर इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी संभव हुआ है। निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी खातों में तत्काल अपना ई - मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित दस्तावेज भौतिक स्वरूप के स्थान पर ई - मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तथापि इस वर्ष 4थी वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस की मुद्रित प्रति के साथ वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट सभी शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है व उपर्युक्त नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भी ई - मेल के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल, पते उपलब्ध/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

दिनांक 1 सितम्बर, 2011 से आपके सम्बंधित डीपी खाते में दिए गए ई - मेल पते एनएसडीएल/सीडीएसएल से आवधिक रूप से डाउनलोड किए जाएंगे जिन्हें वार्षिक साधारण बैठक और वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेज प्रेषित करने के लिए ई - मेल पता माना जाएगा। ऐसे शेयरधारक जिनके पास भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, वार्षिक सर्वसाधारण सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचनाओं/दस्तावेजों की सुपुर्दगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहते हैं, से अनुरोध है कि वे हमारे लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400 078 नामक रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल अपना ई - मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

कृपया नोट करें कि प्रत्येक नोटिस/दस्तावेज बैंक के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर प्रेषित किया जाएगा, यदि आप कोई नोटिस/दस्तावेज भौतिक स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ई - मेल द्वारा सूचित करें और यह बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत पते पर निःशुल्क भेजा जाएगा।

10. शेयरधारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की संलग्न प्रति अपने साथ लाएं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ए. के. दास

सहायक महाप्रबंधक

(कंपनी सचिव)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

निदेशक रिपोर्ट 2010-11

सम्माननीय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय 15.43 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 41538 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 310763 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 10.64 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 17249 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 179356 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल अग्रिम 22.67 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 24289 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 131407 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ 25.90 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 533 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 2591 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ 18.35 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 194 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 1252 करोड़ हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II के अनुसार) पिछले वर्ष के 12.23 प्रतिशत से घटकर 11.64 प्रतिशत हो गया।
- नेट वर्थ 20.68 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 1181 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 6909.54 करोड़ हो गया।
- बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के ₹ 2458 करोड़ में ₹ 64 करोड़ कम होकर ₹ 2394 करोड़ हो गया। प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले वर्ष के ₹ 2.29 प्रतिशत से घटकर 1.82 प्रतिशत हुआ।
- शुद्ध एनपीए, जो पिछले वर्ष ₹ 727 करोड़ था, बढ़कर ₹ 847 करोड़ हो गया। शुद्ध एनपीए प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 0.69 प्रतिशत था; वह घटकर 0.65 प्रतिशत हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष 2010 के 1.86 प्रतिशत से बढ़कर 3.31 प्रतिशत रही।
- प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय, जो पिछले वर्ष ₹ 712 लाख था, बढ़कर ₹ 835 लाख हो गया।
- प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ जो मार्च, 2010 में ₹ 3.30 लाख था, बढ़कर ₹ 3.96 लाख हो गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 18.52 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष के ₹ 35393 करोड़ से बढ़कर ₹ 41949 करोड़ हो गए।
- बैंक के कृषि ऋण में 8.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह बैंक के शुद्ध ऋण का 18.64 प्रतिशत है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड 18 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 7387 लाभार्थियों को सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड जारी किए।
- वर्ष के दौरान, 11877 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा इनमें से 11159 समूहों की ऋण सम्बद्धता रही।
- एमएसई क्षेत्र के अग्रिम 27.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2010 के ₹ 9317 करोड़ से बढ़कर ₹ 11901 करोड़ पर पहुंच गया। एमएसई वित्त पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु 60 शाखाओं को अभिचिन्हित किया गया।
- 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 1776 गावों को वित्तीय समावेशन योजना के तहत लाया गया।
- बैंक का रिटेल ऋण 26.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, ₹ 11190 करोड़ (2010) से बढ़कर ₹ 14132 करोड़ हो गया। सकल अग्रिमों में रिटेल ऋण का अंश 10.75 प्रतिशत रहा।
- वर्ष के दौरान, शैक्षिक ऋण 31.18 प्रतिशत वृद्धि के साथ, ₹ 1548 करोड़ हो गया।
- आवास ऋण पोर्टफोलियो (₹ 20 लाख तक) ने 14.41% की वृद्धि दर्शाई तथा यह ₹ 7001 करोड़ हो गया।
- स्टाम्पिंग सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में ई-स्टाम्पिंग शुरू की गई।
- सेन्ट्रल सिविल पेंशन की इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग शुरू की गई है।
- बैंक को यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अखिल भारतीय आधार पर यूनिफाइड आईडी जारी करने के लिए नामांकन कार्य करेगा।
- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण वर्ष के दौरान 23.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 75616 करोड़ से बढ़कर ₹ 93554 करोड़ हो गया।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 82 नई शाखाएं खोली हैं तथा 31 मार्च, 2011 को 3728 शाखाओं का नेटवर्क था।
- सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म के तहत लाई गई हैं।
- बैंक का ई-ट्रेजरी पूर्णतया परिचालन में आ गया है।
- बैंक को आपनंद, मड़गांव, हैदराबाद तथा भुज में एनआरआई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- बैंक ने रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक के मापुटो में तथा भूटान के थिम्पू में संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- “सेन्टबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लि.” के नाम में परिवर्तन किया गया है, अब यह “सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.” हो गया है।



- बैंक ने एनपीए ,खातों में ₹ 736 करोड़ की नकद वसूली की है.
- बैंक ने मार्च/अप्रैल, 2011 में ₹ 2497 करोड़ का राइट इश्यू का प्रस्ताव रखा तथा इसे सफलतापूर्वक पूरा किया. राइट इश्यू अनुपात 3:5 का तथा यह 1.07 गुना अति-अभिदत्त रहा.
- बैंक को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन के लिए स्कॉच फाइनेंशियल इन्वेलूजन अवार्ड - 2011 तथा फरवरी, 2011 में इंडस्ट्री रिटेल लीडरशिप अवार्ड का माय एफ एम स्टार्स प्राप्त हुआ.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान, आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

₹ करोड़ में

		31.03.2011	31.03.2010	कमी/बढ़ोतरी	%
1	ब्याज आय	15221	12064	3157	26.17
	-अग्रिम	11254	8648	2606	30.13
	-निवेश	3767	3307	460	13.91
	-अन्य	200	109	61	83.49
2	अन्य आय	1265	1735	-470	-27.09
	(निवेशों की बिक्री पर लाभ)				
3	कुल आय (1+2)	16486	13799	2687	19.47
4	प्रदत्त ब्याज	9895	9519	376	3.95
	-जमाएं	9063	9121	-58	-0.64
	-अन्य	832	398	434	109.05
5	परिचालन व्यय	4000	2222	1778	80.02
	-स्थापना	2964	1544	1420	91.97
	-अन्य	1036	678	358	52.80
6	कुल व्यय (4+5)	13895	11741	2154	18.35
7	कीमत-लागत अंतर (स्प्रेड) (1-4)	5326	2545	2781	109.27
8	परिचालन लाभ (3-6)	2591	2058	533	25.90
9	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	932	509	423	83.10
10	कराधान के लिए प्रावधान	407	491	-84	-17.11
11	शुद्ध लाभ	1252	1058	194	18.34

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 26.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- शुद्ध ब्याज आय में 109.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.
- जमाओं पर प्रदत्त ब्याज उच्च लागत जमाओं के परिपक्व होने के कारण पिछले वर्ष के ₹9121 करोड़ से घटकर मार्च 2011 में ₹9063 करोड़ रहा.
- स्टाफ सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण तथा पेंशन एवं ग्रेड्युटी का प्रावधान होने की वजह से कर्मचारियों पर खर्च 91.97% से बढ़ गया.

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹1339 करोड़ के कुल प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011	31.03.2010	कमी-बढ़ोतरी
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	106	30	76
एनपीए के लिए प्रावधान	632	288	344
निवेशों पर मूल्यहास/प्रावधान	154	65	89
करों के लिए प्रावधान	407	491	-84
अन्य	40	126	-86
कुल	1339	1000	339